कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर छत्तीसगढ़

email:- bsp.jd19@gmail.com फोन नं. –07752–493695

क्रमांक /शिकायत/न.क.322/2025/4765 बिलासपुर दिनांक 10.10.2025

//आदेश//

जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर के द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिल्हा अंतर्गत श्री साधेलाल पटेल शिक्षक एवं संकुल समन्वयक पौंसरा के विरूद्ध फर्जी चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक प्रस्तुत करने संबंधी शिकायत की जांच कराई गई। जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर का कार्यालयीन पत्र क 11069 दि. 12.09.2025 द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार आर्थिक अनियमितता की प्रमाणिक रूप से पुष्टि होना पाया गया है।

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक बिलासपुर के अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों की राशि 33,123 व 40947 रू. आहरित कर पूर्व में संबंधित कर्मचारियों को भुगतान किया गया है, परन्तु उक्त दोनो देयकों की राशि कुटरचित कर पुनः एक अन्य कर्मचारी को 433123 रू. एवं श्रीमती राजकुमारी पटेल (पति श्री साधेलाल पटेल) को 240947 रू. नियम विरूद्ध आहरित कर भुगतान किया गया हैं। उक्त राशि श्रीमती राजकुमारी पटेल के खाता क्र. 5402046873 में अंतरित होना प्रदर्शित हैं। श्रीमती पटेल ने दि.09.10.2025 को समक्ष सुनवाई में अतिरिक्त राशि प्राप्त होना स्वीकार किया हैं। श्रीमती पटेल द्वारा अतिरिक्त राशि प्राप्त होने की जानकारी उच्च कार्यालय में नहीं दी गई हैं। प्रकरण में श्रीमती राजकुमारी पटेल की संलिप्तता स्पष्ट रूप से हैं। इस बाबत श्रीमती राजकुमारी पटेल को स्पष्टीकरण जारी किया गया था जिसका जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया।

CIVIL INDIA NEWS NETWORK

श्रीमती राजकुमारी पटेल का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम–3 के विपरीत गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता हैं। एतदद्वारा छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम–9 (1) (क) के तहत श्रीमती राजकुमारी पटेल प्रधान पाठक शास.प्राथ.शाला दैहानपारा (बैमा) वि.खं. बिल्हा जिला बिलासपुर को निलंबित किया जाता हैं तथा इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिल्हा जिला बिलासपुर नियत किया जाता हैं। निलंबन अवधि में श्रीमती राजकुमारी पटेल को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

(यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा)

संयुक्त संचालक 10-10-25

शिक्षा संभाग बिलासपुर

छत्तीसगढ़

पृ. कमांक /शिकायत/न.क322/2025/4766 बिलासपुर दिनांक 10.10.2025

प्रतिलिपिः–

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर को सादर सूचनार्थ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर को सूचनार्थ।
3. विकास खंड शिक्षा अधिकारी बिल्हा जिला बिलासपुर को सूचनार्थ भेजकर लेख हैं कि संबंधित को आदेश तामिली कराकर पावती इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।
4. प्रधान पाठक शास.प्राथ.शाला दैहानपारा (बैमा) वि.खं.बिल्हा, जिला–बिलासपुर को सूचनार्थ ।
5. संबंधित श्रीमती राजकुमारी पटेल, प्रधान पाठक शास. प्राथ.शाला दैहानपारा (बैमा) वि. ख. बिल्हा जिला बिलासपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. खंड प्रभारी कार्यालयीन स्था.03 को गार्ड फाईल हेतु।

संयुक्त संचालक 10-10-25

शिक्षा संभाग बिलासपुर

छत्तीसगढ

CIVIL INDIA NEWS NETWORK